राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांकः पं.122/पैरामेडि.कौं/मान्यता/2022/506 **दिनांक : 08/07/2022**

Venkteshwar Institute of Paramedical Sciences,
Sai Tirupati University, Ambua Road, Village Umarda,
Udaipur, Rajasthan.

विषयः– डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट याचिका संख्या 5160/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 की पालना में संस्था/कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण कर Venkteshwar Institute of Paramedical Sciences, Sai Tirupati University, Ambua Road, Village Umarda, Udaipur, Rajasthan, को डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टैक्नोलोजी, डिप्लोमा इन रेडिऐशन टैक्नोलोजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर टैक्नोलोजी, डिप्लोमा इन ई.सी.जी टैक्नोलोजी डिप्लोमा इन कैथ–लैब टैक्नोलोजी, डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु निरीक्षणोपरान्त सत्र 2021–2022 से निम्न पाठ्यक्रम संचालित करने की अस्थाई मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :–

S. No.	Course Name	Seat
1	Diploma in Medical Laboratory Technology	25
2	Diploma in Radiation Technology.	25
3	Diploma in Operation Theater Technology.	25
4	Diploma in ECG Technology,	25
5	Diploma in Cath Lab. Technology,	25

यह पूर्णतः अस्थाई मान्यता राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 की धारां 13 एवं 28 के तहत निम्न शर्तों के अध्यधीन दी गई है –

1. पाठ्यक्रमों एवं अन्य क्रियाकलापों का संचालन राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा संस्था का निरीक्षण किसी भी समय पर करवाया जा सकता है और संस्था द्वारा नियमों/विनियमों/निर्देशों का उल्लंघन पाया गया तो संस्था की मान्यता तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।
3. मान्यता प्राप्त संस्था को प्रति डिप्लोमा कोर्स 75,000/– राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल और संस्था के संयुक्त नाम की कुल राशि 3,75,000/– रुपये की स्थाई बैंक जमा रसीद (FD) राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में दिनांक 29.07.2021 तक जमा करानी होगी।
4. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा मांगी गई सूचनाऐं संस्था द्वारा समय पर उपलब्ध कराई जाएगी।
5. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, तथा संस्था द्वारा अपने संस्थान के संबंध में भवन (Infrastructute) तथा संबद्ध अस्पताल/लैबोरेटरी एवं शैक्षणिक स्टाफ के परिवर्तन की पूर्व अनुमति कौंसिल से लेना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा अपने संस्थान के संबंध में भवन (Infrastructute) तथा संबद्ध अस्पताल/लैबोरेटरी के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज व शैक्षणिक भवन तथा अस्पताल/लैबोरेटरी में उपलब्ध संसाधनों व गतिविधियों (Equipments/Facilities, Noc from Concerned Departments, Number of Various Tests Conducted etc.) शैक्षणिक स्टाफ आदि के संबंध में समस्त रिकॉर्ड 15 दिवस की अवधि में कौंसिल को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
7. संस्था/कॉलेज को प्रत्येक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 25 सीटें आवंटित की गई हैं।

(कैलाश नारायण मीना)
R.A.S.
रजिस्ट्रार

कृ.पृ.उ.

द्वारा स्पीड पोस्ट/ई-मेल

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी-7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर -302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांकः पं.122/पैरामेडि.कौं/मान्यता/2022/506 **दिनांक : 08/07/2022**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य,) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
5. परीक्षा नियंत्रक राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
6. पंजीयन शाखा, लेखा शाखा, संस्थापन शाखा, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
7. प्रभारी सर्वर रूम, को भेजकर लेख है कि आज ही कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार

द्वारा स्पीड पोस्ट/ई-मेल

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी-7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर -302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांकः पं.122/पैरामेडि.कौं/मान्यता/2023/832 दिनांक : 06-10-2023

Registrar/Principal
Venkteshwar Institute of Paramedical Sciences,
Sai Tirupati University, Ambua Road, Village Umarda,
Udaipur, Rajasthan.

विषयः- डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल संशोधित विनियम 2023 जारी होने की दिनांक 20 फरवरी 2023 से रेग्यूलेशन 42 के परन्तुक में राजस्थान राज्य के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालयों को 6 माह की अवधि में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता लिये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानो के तहत Venkteshwar Institute of Paramedical Sciences, Sai Tirupati University, Ambua Road, Village Umarda, Udaipur को पैरामेडिकल कोर्स संचालन हेतु निरीक्षणोपरान्त शैक्षणिक सत्र 2023-2024 से निम्न कोर्स संचालित करने की अस्थाई अनुमति/मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :-

Serial No.	Course Name	Seat
1	Diploma in Dialysis Technology	50
2	Diploma in Blood Bank Technology	50
3	Diploma in Endoscopy Technology	50
4	Diploma in EEG Technology	50
5	Diploma in Opthalmic Technology	50

यह पूर्णतः अस्थाई मान्यता राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 की धारा 13 एवं 28 के तहत निम्न शर्तों के अध्यधीन दी गई है -

1. पाठ्यक्रमों एवं अन्य क्रियाकलापों का संचालन राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
2. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा संस्था/विश्वविद्यालय का निरीक्षण किसी भी समय पर करवाया जा सकता है और संस्था द्वारा नियमों/विनियमों/निर्देशों का उल्लंघन करना पाया गया तो संस्था की मान्यता तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।
3. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय को प्रति पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स 1,50,000/- राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल और संस्था के संयुक्त नाम की कुल राशि 7,50,000/- रुपये की स्थाई बैंक जमा रसीद (FD) राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में दिनांक 20.10.2023 तक जमा करानी होगी।
4. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा मांगी गई सूचनाऐं संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा समय पर उपलब्ध कराई जाएगी।
5. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, तथा संस्था द्वारा अपने संस्था/विश्वविद्यालय के संबंध में भवन (Infrastructute) तथा संबद्ध अस्पताल/लैबोरेटरी एवं शैक्षणिक स्टाफ के परिवर्तन की पूर्व अनुमति कौंसिल से लेना अनिवार्य होगा।
6. संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा अपने भवन (Infrastructute) के संबंध में तथा संबंद्ध अस्पताल/लैबोरेटरी के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज व शैक्षणिक भवन तथा अस्पताल/लैबोरेटरी में उपलब्ध संसाधनों व गतिविधियों (Equipments/Facilities, Noc from Concerned Departments, Number of Various Tests Conducted etc.) शैक्षणिक स्टाफ आदि के संबंध में समस्त रिकॉर्ड 15 दिवस की अवधि में कौंसिल को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
7. संस्था द्वारा प्रति पाठ्यक्रम 50,000/- रूपये मान्यता शुल्क के रूप में कुल 50,000x5 = 2,50,000/- रूपये नियमानुसार कौंसिल में दिनांक 20.10.2023 तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है।

(सुरेश चौधरी)
R.A.S.
रजिस्ट्रार

निरन्तर..........

द्वारा स्पीड पोस्ट/ई–मेल

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांकः पं.122/पैरामेडि.कौं/मान्यता/2023/832 **दिनांक :** 06-10-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य,) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, साई तिरूपति विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान।
6. काउन्संलिग, पंजीयन, लेखा, विधि, संस्थापन शाखा, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
7. प्रभारी सर्वर रूम, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार